☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फेक्स : 07582 - 222070, 224543
E-mail : dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक 121 /स्टेनो/2020 सागर, दिनांक 13–04–2020

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 27–03–2020 के द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन की गतिविधियों को COVID-19 के लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई हैं । प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020–21 में ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं/दलहन एवं तिलहन का उपार्जन दिनांक 15–04–2020 से प्रारंभ किया जाना हैं । COVID-19 को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने हेतु एसएमएस प्राप्त किसानों की ही उपज की तौल करने तथा अधिकाधिक उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण जिला स्तर से ही करने हेतु शासन द्वारा उपार्जन नीति में संशोधन किया जाकर निर्देश जारी किये गये हैं ।

अतः सागर जिले में निर्देशानुसार उक्त उपार्जन कार्य सम्पन्न कराने के लिए **श्री अखिलेश जैन, अपर कलेक्टर जिला सागर** को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है । श्री जैन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखकर उक्त उपार्जन कार्य के सुगम संचालन हेतु प्रतिदिन जिला आपूर्ति नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपायुक्त सहकारिता, जिला विपणन अधिकारी (DMO), क्षेत्रीय/जिला प्रबंधक म0प्र0 स्टेट वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, क्षेत्रीय/जिला प्रबंधक म0प्र0 सिविल सप्लाईस् कार्पोरेशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सागर, उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सागर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की प्रतिदिन बैठक लेना सुनिश्चित करेंगे तथा यदि कोई महत्वपूर्ण बिन्दु/समस्या या नीतिगत निर्णय की स्थिति उत्पन्न हो, जिसमें जिला कलेक्टर हस्तक्षेप आवश्यक हो, तो तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में उक्त तथ्य लाकर समुचित निर्देश प्राप्त करेंगे।

प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि –

1– किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने हेतु उपार्जन केन्द्रों की Vulnerability Mapping की जाये ।

2– उपार्जन केन्द्र पर केवल SMS प्राप्त किसानों से ही उपज की तौल की जाये, ताकि केन्द्र पर अधिक भीड़ न हो । इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये ।

3– एक उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की तुलाई हेतु प्रारंभ में 06 किसानों को SMS प्रतिदिन प्रेषित किये जाये, जिसमें प्रथम पाली (समय प्रातः 10.00 बजे 1.30 तक) में 03 एवं द्वितीय पाली (समय अपरान्ह 02.00 से 5.30 बजे तक) में 03 किसानों की उपज की तौल की जा सकें।

4– Vulnerable उपार्जन केन्द्रों पर विशेष पुलिस बल लगाया जाये ।

5– संवेदनशील एवं बड़े उपार्जन केन्द्रों पर किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में असुविधा न हो, इस हेतु पंचायत सचिव/रोजगार सहायक/पटवारी आदि को विशेष पुलिस अधिकारी के अधिकार देकर उनकी ड्यूटी लगाई जाये ।

6– SMS प्राप्त किसानों के नाम एवं मो.नं. उपार्जन केन्द्र के लॉगिन में प्रदर्शित कराये गये हैं । उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा SMS प्राप्त किसानों के मोबाइल पर फोन कर उपज विक्रय करने तथा केन्द्र पर अकेले उपस्थित होने एवं वृद्ध/बच्चों/अस्वस्थ्यजनों को उपार्जन केन्द पर न लाने की सूचना दी जाये ।

COLLECTOR
SAGAR

Scanned with CamScanner

पृ० क्रमांक /स्टेनो /2020 सागर, दिनांक 13 –04–2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर भेजकर लेख है कि म0प्र0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 73/2020 भोपाल दिनांक 11–04–2020 में दिये गये निर्देशानुसार उपार्जन केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थायें करना तथा उपार्जन कार्य के सुचारू संचालन हेतु प्रभारी अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सागर श्री अखिलेश जैन, के साथ समन्वय हेतु किसी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नामांकित करना सुनिश्चित करें ।
6. श्री अखिलेश जैन, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम जिला सागर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर भेज कर लेख है कि म0प्र0 शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्रमुख सचिव, सहकारिता एवं प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन क्रमांक एफ/आर/1051/15–1/ भोपाल दिनांक 07–04–2020 में दिये गये निर्देशानुसार उपार्जन केन्द्रो पर विकास खण्ड स्तरीय चिकित्सा दल के माध्यम से खरीदी करने वाले संस्था कर्मचारियों, किसानों एवं हम्माल/मजदूरों की नियमानुसार समय–समय पर जांच आदि किया जाना सुनिश्चित करें।
10. जिला आपूर्ति नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/उपायुक्त सहकारिता/जिला विपणन अधिकारी (DMO)/ क्षेत्रीय/ जिला प्रबंधक म0प्र0 स्टेट वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन/क्षेत्रीय/जिला प्रबंधक म0प्र0 सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सागर/उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सागर जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. स्टेनो टू–कलेक्टर सागर की ओर सूचनार्थ ।
13. उप संचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म0प्र0)

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

7– ग्रामीण क्षेत्र के उपार्जन केन्द्र प्रभारियों द्वारा SMS प्राप्त किसानों की सूची पटवारी/पंचायत सचिव/रोजगार सहायक को उपलब्ध कराई जावे तथा उनके माध्यम से SMS प्राप्त किसान ही उपज विक्रय करने हेतु उपार्जन केन्द्र पर आवें, इसकी जानकारी से अवगत कराया जा सके एवं शेष किसानों को SMS प्राप्त होने पर ही उपज विक्रय हेतु जाने की समझाइश दी जाये ।

8– उपार्जन केन्द्रों पर जाने हेतु मात्र उन किसानों को ही अनुमति दी जाये, जिनके मोबाईल पर खाद्य विभाग द्वारा उस दिन आने की सूचना भेजी गई हो । उपाजन केन्द्रो पर जाने के मार्गो पर पुलिस व्यवस्था लगाकर Access Control किया जाये ।

9– किसानों को यह भी समझाईश दी जावे कि यदि किसी कारण से वे निर्धारित तिथि को उपार्जन केन्द्र पर नहीं पहुंच पाते है, तो उन्हें शीघ्र ही पुनः अवसर दिया जावेगा ।

10– उपार्जन केन्द्र निर्धारित समय पर एवं नियमित रूप से संचालित करें, ताकि किसान को अपनी उपज की तौल हेतु अधिक समय तक केन्द्र पर इंतजार न करना पड़े ।

11– उपार्जन केन्द्र पर आने वाले किसानों तथा केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी बनाये रखने हेतु अवगत कराया जायें ।

12– स्कंध की गुणवत्ता परीक्षण एवं कृषक तौल पर्ची/बिल जारी करने वाले कर्मचारियों/आपरेटर के पास एक समय में एक से अधिक किसान उपस्थित न हो । इसके लिए कांउटर के सामने तीन–तीन मीटर की दूरी पर चूने के गोले बनाये जाये ।

13– गुणवत्ता परीक्षक, नोडल अधिकारी, उपार्जन प्रभारी, आपरेटर एवं हम्मालों द्वारा मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाये तथा इनके हाथ सेनेटाईजर अथवा साबुन से समय–समय पर साफ कराये जाये । प्रभारी अधिकारी एवं अपर कलेक्टर जिले के DMO/DM MPSCSC को वांछित संख्या में मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । यह सावधानियां भण्डार केन्द्रों पर भी रखी जाये ।

14– उपार्जन केन्द्र पर उपार्जन कार्य में सहयोग हेतु नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त अमला पदस्थ करने की साथ–साथ अतिरिक्त तौल कांटे, सिलाई मशीन, हम्माल एवं तुलावटी की व्यवस्था की जाये ।

15– प्रत्येक केन्द्र पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर उपार्जन की सघन मॉनीटरिंग कराई जाये तथा पर्यवेक्षण हेतु 10 से 15 केन्द्रों पर एक जिला अधिकारी को सेक्टर प्रभारी एवं उपार्जन केन्द्र के अमले एवं किसानों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु टीम का गठन किया जाये ।

16– उपार्जन में तकनीकी समस्या आने पर जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी सागर के माध्यम से त्वरित निराकरण कराया जाये ।

17– उपार्जन निर्बाध रूप से संचालित हो, इस हेतु पर्याप्त बारदाने, धागा, छापा की व्यवस्था अग्रिम रूप से कर ली जावे ।

18– इन उपार्जन केन्द्रों से उपार्जित स्कंध का शीघ्रता से परिवहन कराया जाए ।

19– प्रभारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सागर अथवा उनके द्वारा इस कार्य हेतु नामांकित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उपार्जन केन्द्रों पर बारदाने, धागा, छापा, सिलाई मशीन, हम्माल, तुलावटी, कम्प्यूटर आपरेटर, गुणवत्ता परीक्षक, नोडल अधिकारी एवं स्कंध का सुगमता पूर्वक परिवहन एवं आवागमन हो सकें ।

20– प्रभारी अधिकारी नामांकित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बड़े उपार्जन केन्द्रों/साईलो इत्यादि का निरंतर भ्रमण कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु जारी अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेंगे ।

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म0प्र0)

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner